उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-189/2015/2049/71-1-2015-जी-269/2010
लखनऊ : दिनांक 24 नवम्बर, 2015
कार्यालय-ज्ञाप

डा0 रेनू संगल, परामर्शदाता (लेबल-3), महिला विशेषज्ञ, महिला चिकित्सालय, महराजगंज को सेवा स्थानान्तरण के आधार पर बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर के आब्स एण्ड गायनी0 विभाग में प्रवक्ता के पद पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-5014/71-1-06-ग-202/2006, दिनॉक 12-02-2007 द्वारा 01 वर्ष अथवा लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए, तैनात किया गया था। मेडिकल कालेज, गोरखपुर में चिकित्सा शिक्षकों की कमी के दृष्टिगत सेवा स्थानान्तरण अवधि समय-समय पर बढ़ायी जाती रही है। अन्तिम बार डा0 संगल की सेवा स्थानान्तरण अवधि कार्यालय ज्ञाप संख्या-29/2858/71-1-14-जी-269/2010, दिनॉक 27-10-2014 द्वारा एक वर्ष के लिए बढ़ायी गयी थी। उक्त अवधि दिनॉक 27-10-2015 को समाप्त हो गयी है।

2- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-एम0ई0-2/2015/1886, दिनॉक 14-09-2015 द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय मेडिकल कालेज, गोरखपुर के आब्स एण्ड गायनी0 विभाग में कार्यरत डा0 रेनू संगल, सहआचार्य की सेवा स्थानान्तरण अवधि दिनॉक 28-10-2015 से 01 वर्ष अथवा लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए बढ़ाये जाने की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

संजय कुमार उपाध्याय
संयुक्त सचिव।

संख्या:-189/2015/2049(1)/71-1-2015- तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ।
3- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4- प्रधानाचार्य, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
5- वित्त नियंत्रक, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
6- मुख्य चिकित्साधिकारी, महराजगंज।
7- कोषाधिकारी, गोरखपुर।
8- संबंधित चिकित्सा अधिकारी।
9- चिकित्सा अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।